परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्या– 1273एलएएस/14–41मिस/एलएएस/98 दिनांक: 21 अप्रैल,2014

1–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0परिवहन निगम
2–समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,डिपो
उ0प्र0परिवहन निगम
3–समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(कार्मिक),
उ0प्र0परिवहन निगम,
4–समस्त सहायक विधि अधिकारी,
उ0प्र0परिवहन निगम

विषयः– <u>परिवहन निगम के विरूद्ध दाखिल होने वाले मोटर दुर्घटना वादों की प्रभावी पैरवी में आई0टी0एम0एस0 प्रणाली से सृजित सूचनाओं की भूमिका।</u>

मुख्यालय पर क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले विभिन्न मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के एवार्ड के परीक्षण से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि **'हिट एण्ड रन'** से सम्बन्धित दुर्घटनाओं में प्रायःकर पीड़ित पक्ष द्वारा दुर्घटना स्थल से गुजरने वाली निगम वाहन को दुर्घटना में संलिप्त होना दर्शाते हुए निगम के विरूद्ध क्लेम वाद संस्थित करा दिये जाते हैं जिसमें निगम की ओर से स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत न हो पाने एवं बस चालक को हितबद्ध साक्षी मान लिए जाने के कारण दुर्घटना अधिकरण द्वारा परिवहन निगम को मुआवजा की धनराशि अदा करने के लिए उत्तरदायी ठहरा दिया जाता है।

इसी प्रकार अन्य दावे, जिसमें निगम द्वारा दुर्घटना होना स्वीकार कर अन्य वाहन की त्रुटि अथवा आसवधानी से दुर्घटना होने का अभिकथन किया जाता है, में भी प्रचुर साक्ष्य के अभाव में अधिकरण द्वारा अन्य वाहन को दोषमुक्त कर निगम को ही मुआवजे के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी मान लिया जाता है जिससे निगम को अत्यधिक धनराशि प्रतिकर के रूप में अदा करनी पड़ती है।

परिवहन निगम की बसों में अब आई0टी0एम0एस0 प्रणाली लागू किये जाने से प्रत्येक बसों के आवगमन में एक निश्चित समय पर उसका स्थान (location) गति (speed) दिशा (direction), वाहन की स्पीड एकाएक बढ़ाये जाने अथवा एकाएक ब्रेक लिये जाने (harsh acceleration and harsh braking) तथा ओवरटेकिंग जैसी महत्वूपर्ण सूचनायें/संकेत सैटेलाइट के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्रीय प्रबन्धक के अधीनस्थ स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा मुख्यालय स्तर पर स्थापित केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम (CCR) में निरन्तर प्राप्त व रिकार्ड होती रहती हैं। यह रिकॉर्ड हमेशा के लिए (CCR) में सुरक्षित

क्रमशः–2

रहता है, इस तकनीक से प्राप्त डाटा को अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराकर दावे में पीड़ित पक्ष द्वारा वर्णित दुर्घटना, घटना की तिथि, समय, वाहन की स्पीड एवं दुर्घटना की प्रकृति आदि के सापेक्ष परिवहन निगम के पक्ष को प्रभावी ढंग से रखा जा सकता है।

यह उल्लेख करना उचित होगा कि उक्त प्रकार से प्राप्त सूचनाएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम–1882 की धारा 65 (बी) एवं धारा 85(बी) के अन्तर्गत अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हैं।

उपर्युक्त के दृष्टिगत एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि मोटर दुर्घटना दावे में विधि अनुभाग से प्रस्तरवार आख्या मांगे जाने पर निम्नलिखित सूचनाएं विधि अनुभाग को उपलब्ध कराने का व्यक्तिगत दायित्व सम्बन्धित डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक का होगाः–

1–वाद पत्र के प्रत्येक बिन्दु पर सुस्पष्ट प्रस्तरवार आख्या।

2–दुर्घटना में संलिप्त वाहन के सम्बन्ध मे दुर्घटना की तिथि, समय, स्थान, व दुर्घटना की प्रकृति के सापेक्ष आई0टी0एम0एस0 प्रणाली से प्राप्त समस्त सूचनाओं की हार्डकॉपी।

3–दुर्घटना से सम्बन्धित समाचार पत्र की कटिंग एवं फोटोग्राफ (निगेटिव सहित)।

उक्त सूचनाएं प्राप्त होने पर सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक विधि अधिकारी का यह दायित्व होगा कि सूचनाओं का परीक्षण कर निगम के बचाव में यथावश्यकता मा0 न्यायालय में साक्ष्य के रूप प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

ध्यान रहे कि उक्त निर्देशों के अनुपालन में किसी प्रकार की शिथिलतता न बरती जाय भविष्य में किसी भी स्तर पर पाया गया कि निर्देशों के अनुपालन में सूचना संकलित करने अथवा न्यायालय में उसे प्रस्तुत कराने में कोई लापरवाही बरती गयी है तो संबधित क्षेत्र के उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

21/04/14

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रबन्ध निदेशक